

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2973]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2019/भाद्र 20, 1941

No. 2973]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2019/BHADRA 20, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2019

का.आ. 3249(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3441 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाला राजपत्र की प्रतियां जनता को 13 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में स्थित है; महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलएस-10.07/सी.आर.297/एफ-1, तारीख 27 दिसम्बर, 2017 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (V) के अधीन उपबंधों के अनुसार 625.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास के रूप में घोषित किया गया था;

और, महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना डब्ल्यू.एल.पी-10-09/ सी.आर.229/एफ-1 तारीख 5 मई, 2010 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के अधीन ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के 1101.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को "बफर जोन" के रूप में भी घोषित किया था;

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जिसमें समृद्ध और विविध है और यहां से वृक्ष की कम-से-कम 75 प्रजातियां, झाड़ियों की 36 प्रजातियां, घासों की 17 प्रजातियां, पर्वतरोहियों की 21 प्रजातियां और स्थानिक पौधे प्रजातियां अर्थात् एनायमस गोडावेरेंसिस केलास्टिसिया परिवार से संबंधित प्रतिवेदित की गई है;

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व में वनस्पतियों की बहुत अधिक विविधता है और संरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध प्रमुख वृक्ष प्रजातियों अचार, चार (बुचनानिया लंजान, स्प्रेंग), अही (मोरिंदा टिंक्टोरिया, रॉक्सब), एअर/साजा (टर्मिनलिया टोमेन्टोसा, डब्ल्यू एंड ए), अमलतास (कैसिया फिसटुला, लिनन), अम्बा (मैंगीफेरा इंडिका, लिनन) अवला, अवनला (एम्बेलिसा ऑफिसिनैलिस, लिनन), आपटा (बाउहिनिया रेसेमोसा, लामक), अर्जुन/आहु (टर्मिनलिया अर्जुन डब्ल्यू एंड ए), बहेड़ा (टेनिनलिया बेलेरिका, रॉक्सब), बारंगा (किडिया कैलीसीना, रॉक्सब), बेल (ईगल मार्मेलोस, कोरेया), बेर/बोर (ज़िज़िपस मौरिटिआना, लैम्क), भोकर (कॉर्डिया मायक्सा (डाइकोटमस), लिनन स्प.), भीरा (क्लोरोक्सिलिन स्वेटेनिया, डी.सी.), बीजा (पेरोकार्पस मार्सुपियम, रॉक्सब), बीबा (सेमिकारपस एनाकार्डियम, लिनन. एफ.) चिचवा (एल्विजिया ओडोराटिसिमा, बेंथ), धौड़ा (एनोगिसस लैटिफोलिया, वाल), धामन (ग्रेविया टिलिफोलिया, वाल), धोवन (डालबर्गिया पैनीकुलाटा, रॉक्सब), दुधी (राइटिया टेंक्ट्रिया, ब्र.), फेट्रा साफेड (गारडेनिया टुरगिडा, रॉक्सब), गारदी (क्लिस्टिथस कोलिनस, बेंथ एंड हॉक एफ.), घोट/घोटबोर (ज़िज़िफस ज़िलोपारा, वाइल्ड.), गिल्ची (कैसरिया ग्रेवोलेंस, डोलज़), गोंगल (कोक्लोस्परम गॉसिपियम, डी.सी.), हलदु (एडिना कॉर्डिफोलिया, हुक एफ.), हेरा/हिदा (टर्मिनलिया चेबुला, रेटज़) हिवार (अकाकिया ल्यूकोफ्लोआ, वाइल्ड), हिंगन (बालानाइड्स एजेप्टिका, डेल.), जामुन (सिज़ेगियम क्यूमिनी, लिन्स, स्किल्स), जमरस (एलायोडेन्ड्रान ग्लोहम, पेर्स.), करौंदा (कैरिसा स्पिनारम, लिनन), कलाम (मित्राग्रि परविफोलिया, रॉक्सब, कोर्थ), करंज (पोंगामिया पिन्नता, पियरे), कवत (फेरोनिया एलीफैंटम, कॉर.), काकाई (फ्लेकोर्टिया रेमोन्ची, (इंडिया), एल. हेरिट), करई (मिलिओसा टूमेटोसा (सैकोपेटलम टूमेटोसम), हुक एफ. एंड थॉम्स), काकड़ (गरुगा पिननाटा, रॉक्सब), खैर (अकैकिया कैटेचु, वाइल्ड), खिरनी (मनीलकारा हेक्साद्रा, रॉक्सब), कुरु (स्टर्लिंगिया यूरेन्स, रॉक्सब), कुसुम (स्लेइचीरा ओलेओसा, लूर मेर "साइज. त्रिजुगा), लेंडिया/सेहता (लेगरस्ट्रोइमिया परविफ्लोरा, रॉक्सब), महुआ (मधुका इंडिका, गिम" सिन लैटीफोलिया, रॉक्सब), मोवाई (लननेया ग्रांडिस, आर.), नीम (अचादिराचटा इंडिका), पलास (बुटेया मोनोस्पेर्मा, लैम्क ओ.) (कुंताज़े), पापड़ा (गार्डेनिया लैटिफोलिया, एइट), पंगरा (एरीथ्रिना इंडिका, एइट), फेटरा (गार्डेनिया टर्गिडा, रॉक्सब), पिपल (फिकस रेलिगिओसा, लिनन), रोहन (सोयमिदा सेब्रिफुगा ए. जुस), सागवान (टेक्टोना ग्रैंडिस लिनन), सलाई (बोसवेलिया सेराटा, रॉक्सब), सेमल (बॉम्बेक्स सीइबा), शीशम (डालबर्गिया लैटिफोलिया, रॉक्सब), सिवान (गमेलिना आबोरिया, लिनन), सिरिस (अल्विजिया लेब्रेक, बेंथ), सिस्सो (डालबर्गिया सिस्सो रॉक्सब), सुरिया (जाइलिया जाइलोकापरा राक्सब), तेंदू (डाइसपारोस मेलानोक्सालोन, राक्सब (पेरेगिलो), तिवास (औगेनिया डलबेरगिओडेस, बेंथ (ओजेइनेंसिस), उमबर (फिकस गलोमेराटा, राक्सब), वाद (फिकस बेंगालेंसिस), आदि हैं;

और, बाघ रिज़र्व में पाए जाने वाले प्रमुख झाड़ियाँ और जड़ी-बूटियाँ अन्नतमूल (हेमिड्समस इंडिकस, बीआर), बैबिरेंग (एम्बेलिया रोबुस्टा, रॉक्सब), बनबहार (फ्लेमिंगिया सेमीयाल्टा), भारती (जिमनोस्पोरिया स्पिनोसा, फोर्क, फिरोरी), चिरचिरा (अचिरन्थस एस्पेरा, लिनन), जिलबिली (बुडफोर्डिया फ्लोरीबुण्डा), डिकामली (गरडेनिया ल्यूसिडा, रॉक्सब), गोकरु (ज़ेन्थियम स्टुमरियम, लिनन.), गुरशुकरी (ग्रेविया हिरस्यूट, वाहल), इन्द्रजीरा / कूड़ा (होलेरेना एंटीडिसेंटेरिका, बी.आर. वॉल), करील/दीवारी (पेटेलिडियम बेरलियोडायसिस, नेस), करौंदा (कैरिसा स्पिनारम लिनन.), खरसाली (निकटानेथेंस अरबोटारिस्टिस लिनन), खराटा (डोडोनेया विसकोसे, लिनन मनटिस), कुदरासी (ब्रिडेलिया हैमिलटोनियाना, वाइल्ड.), लोखान्डी (जाइक्सोरा परविफ्लोरा, वहल.), मरोडफाल / मुरुदशंग (हेलेस्टरिस इसोरा, लिनन.),

नील (इंडिगोफेरा अरबोरेया, रोक्सब), निर्गुडी (विटेक्स निगुन्डो लिनन), रंढुलास (ओसिमम बैसिलकम), रुई (कैलोट्रोपिस गिगानटेया बीआर.), सिंधी (फीनिक्स आकैलिस, बुच), टैरोता (कैसिया तोरा लिनन), आदि हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्वतारोही अमरबेल (क्यूसेका रिफ्लेक्सा, रोक्सब), चिलाती (अकाकिया पिन्नता, वाइल्ड), गुरार (मिलेटिया औरिकुलता), गंज (एब्रस प्रीटोरिटियस, लिनन), एरोनी (ज़िज़िपस ओएनोप्लाडिया, वाइल्ड), कंझकुरी (मुकुना प्र्यूयेंस डी. ओ.), कुकटोरंजी (कैलीकोपटेरिस फ्लोरीबुण्डा, लैमक), मेहुल (वाउहिनिया वाहली, डब्ल्यू एंड ए.), पलासबेल (ब्यूटिया सुपरबा, रॉक्सब.), रैम्डटन (स्मिलैक्स मैक्रोवा, रॉक्सब.), कूटी (वेंटिलैगो कैलीकुलता, तुल), आदि हैं। जबकि संरक्षित क्षेत्र में अभिलिखित महत्वपूर्ण घास और बांस फुलर (अपलुडा मुटीका लिनन), पंडरी कुसल (अरिसटिडा फुनीकुलाटा), ज़ेडू (अरिसटिडा रेडाकटा), चैपर (ब्राचिओरिया सामोसा), कसाई (कोइक्स लैक्रिना-जोबी), डब (साइनोडोन डैक्टीलोन), डोंगरी (क्राइसोपोगन फुनबुस), मारबेल (डिचान्थिम ऐनुलाटम), शिकारी (डिजिटेरिया कनिग्रिस), सांबा (इचिनोकोला कोलोनम), चोई (एराग्रोस्टिस अनिलोइड्स), भूसुशी (एराग्रोस्टिस टेनेला), कुसाली (हेटेरोपोगोन कंटोर्टस), देव-धान (ओरिजा स्पेसिस), कोड़ा (पसपैलम सेरोबिकटम), जीनिया (पैनिकम मैक्सिमम), शेडा (सेहिमा नर्वोसुम), चिरचिरा (सेटरिया वर्टिसिलटा), चिक्टा (सेटसिया इंटरमीडिया), कोल्हेगावत (सेटरिया ग्लौका), सुर्गन (सोरघम पर्यसुसी सीरीक्युसिमम) चिरिका दाना (स्पोकोहोलस डिएन्डर), घोन्याद (थ्रेम्दा त्रिंद्रा), खुस (वेटिवरिया जिज़ानियोइस), बैन / बाँस (डैन्ड्रोकेलमन स्ट्रीकटस नीस) आदि हैं;

और, इन विशाल फूलों की विविधता बड़ी संख्या में जंगली जानवरों और पक्षियों का समर्थन करती है, उनमें से प्रमुख जीव हनुमान लंगूर (प्रेस्विटिस एंटेल्स), बाघ (पैंथेरा टिगरिस टिगरिस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेंगालेंसिस), रस्ती स्पांटेड बिल्ली (फेलिस रुबिनोजासा), जंगल बिल्ली (फेलिस चाउस), रेगिस्तानी बिल्ली (फेलिस लिबाका), छोटा भारतीय गंध बिलाव (विवरिकुला इंडिका), टोडी बिल्ली (पैराडॉक्सुरस हेर्मेफ्रोडिटस), सामान्य नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्ड्स), रडी नेवला (हर्पेस्टेस स्मिथी स्मिथी), लघु भारत नेवला (हर्पेस्टेस एरोप्रैक्टेटस), धारीदार लकड़बग्घा (हाइना हाइना), भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स), सियार (कैनिस ऑरियस), भारतीय जंगली कुत्ता (कुआँन अल्पिनस), रीछ (मेलुरस ओर्सिनस), रेटल (मेल्विवोरा कैपेंसिस), इंडियन ट्री श्रेव (अनाथना इलियोटी), ग्रे कस्तूरी श्रेव (सनकस मुरिनस), फ्लाइंग फॉक्स (पेरोटोपस गिगेंटस), फुलवस फ्रूट बैट (रौसेटस लेसचेनॉल्टी), बियर्डेड शेथ - टेल्ड बैट (टैफोजस मेलानोपोगोन), इंडियन पिपिस्ट्रैल (पिपिस्ट्रैलस कोरोमांड्रा), सामान्य विशालकाय उड़न गिलहरी (पेटौरिस्टा पेटौरिस्टा), श्री स्ट्रीप्ड पाल्म गिलहरी (फुनामसुलुस पालमारुम), इंडियन जेरबिलीस (टैटर इंडिका), मेटाड (मिलार्डिया मेल्टडा), भारतीय क्षेत्र के चूहे (मूस बूडगा), कॉमन हाउस रैट (रैटस रैटस), बैंडिकूट चूहा (बैंडिकोटा इंडिका), भारतीय साही (हिस्ट्रिक्स इंडिका), रुफोस्टेल्ड हरे (लेपस नाइग्रीकोलिस रुफिकाडाटस), गौर (बोस गोरस), चौसिंगा हिरण (टेट्रेरेसस क्राड्रिकॉर्निस), ब्लू बुल/ नीलगाय (बोसेलाफस ट्रागोकेमेलस), सांभर (कर्वस यूनिकोलर), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), मुंजक (मुंटियाकस मुंटजैक), भारतीय जंगली सूअर (सस स्क्रोफा), भारतीय साल (मैनिनस क्रासिकौडाटा), आदि हैं;

और, बाघ रिज़र्व में उपलब्ध दुर्लभ, लुप्तप्राय, संकटापन्न (आरईटी) और स्थानिक जानवरों की प्रजातियों की महत्वपूर्ण प्रजातियां बाघ (पैंथेरा टिगरिस टिगरिस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस फुस्का), भारतीय भैंसा (बोस गॉरस), चार सींग वाले मृग (टेट्रासेरस क्विड्रिकोर्निस), कॉमन इंडियन मॉनीटर (वारानस बेंगालेंसिस), भारतीय गिरगिट (चमेलस ज़ेलेनिकस), स्टार कछुआ (गेचेलोने एलेगेनस), प्रायद्वीपीय या डेक्कन सोफ शैल्लड कछुआ (ट्रायोनक्स लीथि), स्कवायर स्पोटेड गेचो (हेमिडा सिट्लस ग्रैसिलिस), भारतीय साल (मैनिनस क्रासिकाडाटा), तेंदुआ बिल्ली (प्रियनैलुरस बेंगालेंसिस बेंगालेंसिस), मार्श मगरमच्छ (क्रोकोडायल पेलुस्ट्रिस), पायथन (पायथोन मोलुरस), मगर (क्लेरी बैटरेकस), कायर व्हाइट कार्प (सिरसिनस सिरसिनस), ट्री श्रीव (एनाथाना इलियोटी इलियोटी), वाटवधुल (रायनोलोफस आर. रोक्सली), वाटवधुल (हिपोसिडेरोस गैलेरिटस ब्राचिओटस), कासव (लिसेमायस पुंटाटा), वाला (रैमफोटीफलोपस ब्रामिनस), ट्रीनकेट (टासकर) (एलाफे हेलेना), सामान्य

भारतीय करैत (मानयार), (बुनगैरस कैरुलेस), पतला मूंगा साँप (कैलोफिस मेलातुरुस), भारतीय कोबरा (नाग) (नाजा नाजा नाजा), रसेल वाइपर (घोनास) (विप्र रुसेली), सा-स्केल्ड वाइपर (फोओर्सा) (इकिस कैरिनैटस कैरिनैटस), बांस पिट वाइपर (हारा घोनास) (ट्राइमेरेसुरस ग्रैमाइनस) कासव (एसपडेरेटेस लिथि), स्कायर स्पॉटिड गेको (पाल) (हेमिडैकटाइलस ग्रैसिलिस), पुंगस (पंगेसियस पंगसियस), गूच (वैगरियस बैंगियस), चीतल (चितल चीतला), ओरिएंटल व्हाइट-ब्लैकड गिद्ध (जिप्स बैंगालेंसिस), लेसर एडटेंट (लेप्टॉपिलोस जैवनिकस), ग्रेटर चित्तीदार चील (एक्विला क्लेन्ना), सुरस क्रेन (ग्रूस एन्टीगोन), ग्रीन मुनिया (अमंडवा फॉर्मोसा), आदि हैं;

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व में मानव निवास की अत्यधिक सन्निकटता तथा चल रहे विकास के क्रियाकलापों के कारण उपयुक्त रक्षोपाय और क्रियाकलापों पर नियंत्रण की अपेक्षा आवश्यक हो गई है;

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 3 से 16 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के चारों ओर 3 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 1346.61 वर्ग किलोमीटर है।

- (2) ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व का मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख, उपाबंध-II ग और उपाबंध-II घ** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी 4 में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद प्रमोद के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुख-सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की बहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संचिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जिन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** यानीय-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरीनी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय जनित प्रदूषण.-** यानीय जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाईयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी । (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई अथवा विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		<p>परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
11.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
12.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा।
15.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
18.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
19.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
22.	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
25.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
27.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	कैम्पिंग और ट्रेकिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	सामुदायिक प्रकृति रिजर्व।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	ग्रामीण कारिगरों सहित कुटीर उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति .- केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों का प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित करती है:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलक्टर, चंद्रापुर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि।	-सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य;
(iv)	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य;
(v)	जैव विविधता विशेषज्ञ ।	सदस्य;
(vi)	क्षेत्र का वरिष्ठ योजनाकार।	सदस्य;
(vii)	पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उद्योग / महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	क्षेत्र निदेशक, ताडोबा अंधेरी बाघ रिज़र्व का प्रतिनिधि।	सदस्य;
(ix)	उप निदेशक (बफर), ताडोबा अंधेरी बाघ रिज़र्व ।	सदस्य -सचिव।

6. निर्देश के निबंधन .- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय निकासियों के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन में केंद्रीय सरकार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट शर्तों पर आधारित निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएगी।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकारियों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. सर्वोच्च न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/02/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

1. महाराष्ट्र राज्य में ताडोबा अंधेरी बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर – आर.एफ.कम्पार्टमेंट सं 41, 40, 39, 7, 8, 10, 12, 20 की उत्तरी सीमा (चंद्रपुर- नागपुर सर्कल सीमा)


दक्षिण- मरोदा, कटवान की दक्षिण पूर्व सीमा, आर.एफ. कम्पार्टमेंट सं.353 की दक्षिण सीमा 352, 355, 356 की दक्षिण पूर्व सीमा। नागाला, मरारसवारी, संद्राग्राम की दक्षिण पूर्व सीमा, संद्रा ग्राम की दक्षिण सीमा। आर.एफ कम्पार्टमेंट सं 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409 की दक्षिण सीमा।

पूर्व- आर. एफ कम्पार्टमेंट सं. 20, 21, 380, 381, 26A, 372, 368, 37, 43, की पूर्वी सीमा तालोडी तुकुम, मसाला, सतारा, तुकुम, पालासगांव, परना ग्राम की पूर्व सीमा, आर.एफ कम्पार्टमेंट सं. 230, की पूर्वी सीमा, श्रीकादा, शीओनी, वासेटा, जामसाला, मोहादी, कलमगांव गांवगन्ना, बामनी, शिवापुर तुकुम, रत्नापुर, भादुरना, उसराला, मरोदा ग्रामों की पूर्वी सीमा।

पश्चिम- मरौदा, कटवान की दक्षिण पूर्व सीमा, आर.एफ कम्पार्टमेंट सं. 353 की दक्षिण सीमा 352, 355, 356. की दक्षिण पूर्व सीमा। नागाला, मरारसवी, संद्रा ग्राम की दक्षिण पूर्व सीमा, संद्राग्राम की दक्षिण सीमा आर.एफ. कम्पार्टमेंट सं 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409 की दक्षिण सीमा।


उपाबंध-11क

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का मानचित्र




उपाबंध-IIग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला भूमि उपयोग मानचित्र



उपाबंध-IIघ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
ए	20° 26' 05.642" उ	79° 16' 21.846" पू
बी	20° 25' 36.381" उ	79° 19' 18.425" पू
सी	20° 24' 24.541" उ	79° 21' 31.130" पू
डी	20° 22' 29.638" उ	79° 23' 15.223" पू
ई	20° 21' 08.333" उ	79° 23' 19.536" पू
एफ	20° 17' 37.449" उ	79° 22' 52.950" पू
जी	20° 16' 17.437" उ	79° 26' 53.201" पू
एच	20° 16' 09.425" उ	79° 33' 20.299" पू
आई	20° 06' 44.547" उ	79° 33' 13.981" पू
जे	20° 04' 54.547" उ	79° 27' 47.877" पू
के	20° 07' 49.555" उ	79° 22' 21.514" पू
एल	20° 17' 49.765" उ	79° 18' 51.049" पू
एम	20° 18' 57.114" उ	79° 14' 47.329" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	20° 35' 19.456" उ	79° 16' 06.721" पू
2.	20° 30' 07.431" उ	79° 20' 20.673" पू
3.	20° 24' 32.984" उ	79° 24' 53.843" पू
4.	20° 20' 51.058" उ	79° 30' 22.952" पू
5.	20° 11' 35.495" उ	79° 40' 19.671" पू
6.	20° 03' 05.625" उ	79° 37' 57.773" पू
7.	19° 59' 10.395" उ	79° 33' 53.630" पू
8.	19° 57' 55.322" उ	79° 27' 20.581" पू

9.	19°57' 33.293" उ	79°20' 46.585" पू
10.	20°00' 27.980" उ	79°21' 17.543" पू
11.	20°04' 09.631" उ	79°17' 53.560" पू
12.	20°16' 23.423" उ	79°14' 19.513" पू
13.	20°26' 00.765" उ	79°12' 37.764" पू

उपाबंध-IV**क. भू-निर्देशांकों के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	पलाशगांव सलंगरू	20:16:39.673	79:21:28.819
2	कोल्सा	20:10:03.787	79:30:09.557
3	रांटलोधी	20:13:51.698	79:26:59.830
4	रामदेगी	20:24:37.562	79:16:36.273
5	जमानी	20:20:08.533	79:20:20.846
6	कटजरी	20:18:25.109	79:17:18.230
7	बोटेजरी	20:11:18.178	79:26:38.733

ख. भू-निर्देशांकों के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	देशांतर	अक्षांश
1.	देवादा	712.98	79:22:19.503	20:08:05.870
2.	खांदाला रीत	32.32	79:23:50.526	20:05:46.042
3.	छोरगांव	526.00	79:22:44.797	20:04:09.790
4.	वारवाट	384.58	79:20:35.958	20:02:41.750
5.	मम्ला	181.81	79:23:11.000	20:02:21.526
6.	निम्बाला	308.58	79:26:41.959	20:03:32.831
7.	चाक निम्बाला	651.30	79:27:35.698	20:02:44.831
8.	वईगांव - 1	143.59	79:25:22.480	20:01:36.308

9.	वईगांव - 2	107.28	79:25:56.567	20:02:04.135
10.	बोरदा	143.97	79:26:39.698	20:01:39.091
11.	हल्दी	291.24	79:29:09.918	20:03:05.923
12.	जरी	29.72	79:30:48.404	20:05:58.270
13.	अदेगांव	465.00	79:21:08.140	20:06:40.499
14.	अगरजरी	120.08	79:19:48.836	20:06:24.903
15.	चाक बोरदा	799.96	79:26:21.082	20:01:00.109
16.	पहामी	30.58	79:27:50.927	20:05:30.503
17.	पेथ	11.59	79:30:23.039	20:04:53.288
18.	दोनी	79.04	79:32:34.291	20:06:35.005
19.	फलजरी	15.44	79:33:57.346	20:03:55.542
20.	मोहरली	373.00	79:20:17.921	20:10:40.032
21.	पिम्पलकुथ	24.60	79:29:55.130	20:02:32.956
22.	चाक पिम्पलकुथ	154.76	79:30:07.533	20:01:52.311
23.	नंदगुर	302.01	79:30:38.864	20:01:22.026
24.	महादवादी	127.78	79:32:23.516	20:01:03.397
25.	गोंदसवरी	421.71	79:31:40.058	20:00:53.697
26.	मरार्सावारी	46.47	79:33:16.841	19:59:41.296
27.	चाक मरारसवारी	85.23	79:32:33.216	19:59:42.292
28.	नगला	204.75	79:33:08.673	20:00:28.506
29.	संदाला रीथ	159.42	79:33:38.061	19:59:12.752
30.	चीचपल्ली	673.02	79:29:10.774	19:59:47.194
31.	अजयपुर	860.13	79:30:37.358	20:00:25.639
32.	टेम्टा	32.76	79:30:50.255	19:59:37.118
33.	जम्भारला	55.61	79:29:37.100	19:59:03.338
34.	वाल्नी	130.50	79:27:06.081	20:00:19.476
35.	चाक वाल्नी	34.48	79:26:09.809	19:59:59.868

36.	घंटाचुकी	29.93	79:24:59.986	19:59:50.362
37.	लोहारा	151.61	79:21:47.465	19:59:03.808
38.	सोनेगांव	245.28	79:14:31.612	20:20:22.841
39.	बेलगांव	480.00	79:13:16.306	20:19:59.176
40.	अस्ता	765.00	79:13:51.236	20:18:38.087
41.	वडाला तु	374.71	79:15:18.919	20:18:07.434
42.	त्रिलोडा	607.00	79:14:56.463	20:13:21.039
43.	कटवाल तु	8030.95	79:16:10.941	20:15:45.322
44.	नागपुर रीथ	122.83	79:16:32.446	20:14:58.609
45.	घोसारी	224.74	79:17:04.704	20:16:49.837
46.	खुथवांदादी	114.91	79:18:28.610	20:16:22.339
47.	खुथवांदा तु	133.21	79:18:07.281	20:16:45.607
48.	खुथवांदा एम आर	72.21	79:18:39.363	20:16:00.481
49.	कुतवांदा आर वाई	11.31	79:18:18.562	20:15:45.674
50.	चिचघाट रीथ	90.79	79:19:18.576	20:17:03.215
51.	टेकदी	289.86	79:17:09.956	20:14:20.079
52.	कोंदिगांव तु	145.45	79:18:35.660	20:13:31.322
53.	भम्देली आर वाई	289.00	79:19:23.660	20:11:48.054
54.	भाम्देली	225.00	79:18:57.918	20:11:03.233
55.	जुनोना	39.07	79:21:21.740	20:10:40.601
56.	पारदी रिथ	350.00	79:19:06.007	20:09:54.656
57.	टम्सी रिथ	308.00	79:15:58.162	20:16:41.072
58.	कोदिगांव	150.00	79:18:28.953	20:14:17.276
59.	सितराम्पेथ	559.00	79:19:11.685	20:12:36.479
60.	थनेगांव रिथ	62.00	79:20:05.282	20:11:33.318
61.	अम्बेजारी रिथ	100.00	79:20:31.871	20:09:28.232
62.	मुधोलि	437.00	79:17:42.998	20:15:26.919

63.	सिओनी	852.83	79:13:41.367	20:22:19.917
64.	अर्जुनी तुकुम	70.75	79:13:44.348	20:22:00.957
65.	अर्जुनी	381.18	79:13:02.969	20:21:34.126
66.	कोकेवाडा	376.00	79:13:12.151	20:20:38.556
67.	भानुसखिंदी रिथ	19.25	79:14:27.516	20:21:34.364
68.	वाइगांव	102.65	79:12:45.071	20:22:52.857
69.	वाईगांव खुर्द	392.00	79:11:57.438	20:22:42.247
70.	बेल्गांव भोयार रिथ	298.64	79:13:18.934	20:23:23.559
71.	बेल्गांव चाक रिथ	61.51	79:13:16.677	20:23:57.648
72.	बेम्बाल	110.00	79:12:43.943	20:24:39.412
73.	बेम्बाल चाक	260.62	79:13:21.869	20:24:34.219
74.	निम्धेका	146.00	79:12:59.068	20:25:26.593
75.	मदनपुर तुकुम	168.00	79:24:19.353	20:23:14.041
76.	मदनपुर	550.00	79:24:49.802	20:23:49.505
77.	चाइथय (देओरी)	233.20	79:22:28.308	20:22:24.607
78.	चाइथय तुकुम रिथ	253.00	79:23:05.917	20:23:00.071
79.	टेकदी मंदावजरी	168.66	79:21:48.900	20:23:39.117
80.	चाक टेकदी रिथ	212.00	79:22:17.539	20:23:11.943
81.	टेकदी सुभानी रिथ	475.19	79:24:21.108	20:24:22.962
82.	करबादा	360.00	79:23:12.860	20:23:44.095
83.	कोलारा	251.00	79:22:24.810	20:25:18.357
84.	पलासगांव(पिपेरदा)	754.75	79:27:36.976	20:21:11.990
85.	गोंदमोहाली	521.24	79:26:58.109	20:21:38.616
86.	विहिरगांव तुकुम	219.00	79:26:08.529	20:22:31.562
87.	विहिरगांव	444.00	79:25:51.697	20:21:05.563
88.	टलोधी	156.01	79:21:13.903	20:26:42.119
89.	अलिजांजा	किटदी का भाग	79:20:37.366	20:26:34.541

90.	टेकेपेर	399.00	79:22:06.001	20:26:54.342
91.	पेंधारी रिथ	126.00	79:19:56.141	20:27:18.788
92.	पेंधारी तु. रिथ	168.00	79:19:30.065	20:27:05.750
93.	टलोधी गोगन्ना	329.00	79:20:47.361	20:27:20.185
94.	किटलि	298.00	79:19:53.108	20:26:23.881
95.	खापरी	457.00	79:20:32.950	20:25:55.073
96.	बमनगांव	473.00	79:20:22.536	20:24:58.374
97.	सातरा	471.00	79:21:27.503	20:24:59.907
98.	खादसांगी	262.22	79:16:00.186	20:29:58.415
99.	पेंधारपवनी	93.82	79:16:18.575	20:29:21.638
100.	बरदघाट	164.61	79:15:40.183	20:29:31.220
101.	खांदाला	55.72	79:14:08.573	20:32:22.236
102.	मंगरूल	68.53	79:17:57.873	20:28:59.571
103.	जरी	78.37	79:17:14.966	20:29:13.669
104.	बनदर	132.45	79:17:43.775	20:29:53.511
105.	शिवापुर	55.84	79:17:37.033	20:30:36.418
106.	सेदेगांव	619.38	79:19:20.622	20:30:03.319
107.	पिटिचुआ	352.00	79:19:45.140	20:31:54.876
108.	मजरा बेगदे	206.05	79:16:12.445	20:31:13.195
109.	अमरपुरी	240.14	79:16:33.899	20:31:59.780
110.	सलोरी रिथ	84.54	79:16:11.832	20:32:56.171
111.	पेथभांसुली	189.02	79:15:24.635	20:32:10.813
112.	जम्भुलबोदी	77.69	79:14:07.574	20:31:58.689
113.	आजगांव	144.86	79:17:09.303	20:33:50.568
114.	मुरपर रिथ	156.50	79:17:53.034	20:34:06.603
115.	मुरपर तुकुम	161.77	79:17:56.435	20:32:36.225
116.	कटेबोथलि	49.32	79:16:47.058	20:33:20.024

117.	मिंजरी	123.20	79:17:55.376	20:34:07.662
118.	चाक कुकाधेटी	22.00	79:37:44.726	20:12:57.288
119.	कुकाधेटी	760.59	79:36:12.062	20:13:58.906
120.	मोहादी	272.00	79:36:56.520	20:15:02.197
121.	रतनपुर	111.07	79:33:47.327	20:20:35.299
122.	खाटेरा	96.00	79:37:17.166	20:11:26.350
123.	खाटेरा चाक	118.00	79:37:31.376	20:11:04.544
124.	नालेश्वर	413.50	79:35:41.858	20:14:13.200
125.	जमसला	446.00	79:35:48.228	20:15:46.793
126.	मसमोहान	134.00	79:33:54.054	20:15:56.596
127.	सिंगादजरी	104.04	79:33:52.094	20:16:26.484
128.	वासेरा	667.75	79:34:48.936	20:16:51.475
129.	पंधारवानी	55.11	79:31:45.186	20:16:11.294
130.	सिओनी	638.01	79:33:23.673	20:18:13.308
131.	सिरकादा	380.71	79:31:21.169	20:18:48.589
132.	परना	121.62	79:29:29.936	20:20:41.292
133.	पिपेरदा	423.43	79:28:21.510	20:20:09.557
134.	पिपेरहेटी	27.40	79:32:27.094	20:15:37.951
135.	मरोदा	1995.04	79:38:15.353	20:06:11.147
136.	उसराला	755.98	79:39:50.068	20:08:05.213
137.	पदजरी	26.42	79:37:32.181	20:08:34.857
138.	पदजरी आर वाई	696.23	79:38:14.311	20:08:48.189
139.	शिवापुर	78.00	79:38:10.844	20:10:49.780
140.	भादुरना	5.57	79:40:01.680	20:09:05.240
141.	कटवान	133.85	79:37:58.377	20:04:03.544
142.	चाक कतवान	99.24	79:38:24.103	20:04:36.806
143.	करवान	757.48	79:37:54.219	20:05:14.745

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2019

S.O. 3249(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3441 (E), dated the 12th July, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 13th July, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Tadoba - Andhari Tiger Reserve is situated in Chandrapur district in the State Maharashtra; Government of Maharashtra *vide* its Gazette notification No. WLS-10.07/C.R.297/F-1, dated the 27th December, 2007 has declared an area of 625.40 square kilometres as Critical Tiger Habitat as per the provisions under section 38 (V) of the Wildlife (Protection) Act-1972;

AND WHEREAS, the Government of Maharashtra *vide* its Gazette notification no. WLP-10-09/CR-229/F-1, dated the 5th May, 2010 has also declared 1101.77 square kilometre as "Buffer Zone" of Tadoba-Andhari Tiger Reserve under section 38 of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, the Tadoba-Andhari Tiger Reserve has Southern Tropical Dry Deciduous forests which are rich and varied and from where at least 75 trees species, 36 Shrub species, 17 Grass species, 21 climber species and the endemic plant species viz., *Euonymus godaverensis* belonging to family Celastraceae have been reported;

AND WHEREAS, the Tadoba-Andhari Tiger Reserve has very high diversity of flora and the major tree species available in the protected area are achar, char (*Buchnanian lanzan*, Spreng), ahi (*Morinda*

tinctoria, Roxb), air/saja (*Terminalia tomentosa*, W and A), amaltas (*Cassia fistula*, Linn), amta (*Bauhinia malabarica*, Roxb), amba (*Mangifera indica*, Linn), aola, aonla (*Emblica officinalis*, Linn), apta (*Bauhinia racemosa*, Lamk), arjun/ahu (*Terminalia arjuna* W & A), behada (*Tenninalia belerica*, Roxb), baranga (*Kydia calycina*, Roxb), bel (*Aegle marmelos*, Correa), ber/bor (*Ziziphus mauritiana*, Lamk), bhokar (*Cordia myxa* (*dichotoms*), Linn Sp.), bhirra (*Chloroxylon swietenia*, D.C.), bija (*Pterocarpus marsupium*, Roxb), biba (*Semicarpus anacardium*, Linn. F.), chichwa (*Albizia odoratissima*, Benth), dhaoda (*Anogeissus latifolia*, Wall), dhaman (*Grewia tilifolia*, Wall), dhoban (*Dalbergia paniculata*, Roxb), dudhi (*Wrightia tinctoria*, Br.), fetra safed (*Gardenia turgida*, Roxb), garadi (*Cleistanthus collinus*, benth and hock F.), ghot/ghotbor (*Zizyphus zylopara*, wild.), gilchi (*Casaria graveolens*, Dolz), gongal (*Cochlospermum gossypium*, D.C.), haldu (*Adina cordifolia*, hook F.), herra/hirda (*Terminalia chebula*, Retz), hiwar (*Acacia leucophloea*, Willd), hingan (*Balanites aegyptica*, Del.), jamun (*Syzygium cumini*, Linns, Skeels), jamras (*Elaeodendron glaucum*, Pers.), karonda (*Carissa spinarum*, Linn), kalam (*Mitragyna parvifolia*, Roxb, Korth), karanj (*Pongamia pinnata*, Pierre), kawat (*Feronia elephantum*, Corr.), kakai (*Flacourtia remontchi*, (India), L. Herit), karai (*Miliosia tomentosa* (*Saccopetalum tomentosum*), Hook F. and Thomes), kakad (*Garuga pinnata*, Roxb), khair (*Acacia catechu*, willd), khirni (*Manilkara hexandra*, Roxb), karu (*Sterculia urens*, Roxb), kusum (*Schleichera oleosa*, Lour Merr “*Sys. trijuga*), lendia/sehna (*Lagerstroemia parviflora*, Roxb), mahua (*Madhuca indica*, Gmel “*Syn latifolia*, Roxb), mowai (*Lannea grandis*, R.), neem (*Azadirachta indica*), palas (*Butea monosperma*, Lamk O. (*Kuntazae*), papada (*Gardenia latifolia*, Ait), pangra (*Erythrina indica*, Ait), phetra (*Gardenia turgida*, Roxb), pipal (*Ficus religiosa*, Linn.), rohan (*Soyamida febrifuga* A. Juss), sagwan (*Tectona grandis*, Linn), salai (*Boswellia serrata*, Roxb), semal (*Bombax ceiba*), shisham (*Dalbergia latifolia*, Roxb), siwan (*Gmelina arborea*, Linn), siris (*Albizia lebbek*, Benth), sissoo (*Dalbergia sissoo* Roxb), suria (*Xylia xylocarpa*, Roxb), tendu (*Diospyros melanoxylon*, Roxb (*Peregina*), tiwas (*Ougenia dalbergiodes*, Benth (*oojeinensis*), umbar (*Ficus glomerata*, Roxb), wad (*Ficus bengalensis*), etc;

AND WHEAREAS, the major shrubs and herbs found in the Tiger Reserve are anantmul (*Hemidesmus indicus*, Br), baibirang (*Embelia robusta*, Roxb), banbahar (*Flemingia semialata*), bharati (*Gymnosporia spinosa*, Forsk, Firori), chirchira (*Achyranthus aspera*, Linn.), jilbili (*Woodfordia floribunda*), dikamali (*Gardenia lucida*, Roxb), gokru (*Xanthium strumarium*, Linn.), gurshukri (*Grewia hirsute*, Vahl), indrajira/kuda (*Holarrhena antidysenterica*, B.R. Wall), karil/diwari (*Petalidium barleriodies*, Ness), karonda (*Carissa spinarum* Linn.), kharasli (*Nyctanthes arbotristis* Linn), kharata (*Dodonaea viscosa*, linn Mantis), kudrasi (*Bridelia hamiltoniana*, Willd.), lokhandi (*Ixora parviflora*, Vahl.), marodphal/murudsheng (*Helecteris isora*, Linn.), neel (*Indigofera arborea*, Roxb), nirgudi (*Vitex nigundo* Linn), rantulas (*Ocimum basilicum*), rui (*Calotropis gigantea* Br.), sindhi (*Phoenix acaulis*, Buch), tarota (*Cassia tora* Linn), etc;

AND WHEAREAS, the climbers found in the protected area are amarbel (*Cuscuta reflexa*, Roxb), chilati (*Acacia pinnata*, Wild), gurar (*Milletia auriculata*), gunj (*Abrus precatorius*, Linn), eroni (*Ziziphus oenoplia*, Willd), kanjhkuri (*Mucuna pruriens*, D.O.), kukatranji (*Calycopteris floribunda*, lamk.), mahul (*Bauhinia vahlii*, W & A.), palasbel (*Butea superba*, Roxb.), ramdaton (*Smilax macrophylla*, Roxb.), kooti (*Ventilago calyculata*, Tul), etc. While important grasses and bamboos recorded from the protected area are fuler (*Apluda mutica* Linn), pandari kusal (*Aristida funiculata*), zadu (*Aristida redacta*), chaper (*Brachiaria samosa*), kasai (*Coix lacryna-jobi*), dub (*Cynodon dactylon*), dongari (*Chrysopogan fulvus*), marwel (*Dichanthium annulatum*), shikari (*Digitaria ciliaris*), samba (*Echinochloa colonum*), choei (*Eragrostis uniloides*), bhusbushi (*Eragrostis tenella*), kusali (*Heteropogon contortus*), dev-dhan (*Oryza species*), kodra (*Paspalum serobiculatum*), genia (*Panicum maximum*), sheda (*Sehima nervosum*), chirchira (*Setaria verticillata*), chikta (*Setasia intermedia*), kolhegawat (*Setaria glauca*), surgan (*Sorghum purpuseo sericcum*), chiriaka dana (*Sporobolus diander*), ghonyad (*Themeda triandra*), khus (*Vetivera zizaniodes*), bans/bamboos (*Dendrocalamus strictus* Nees), etc;

AND WHEAREAS, these vast floral diversity supports a large number of wild animals and birds, the major fauna among them are Hanuman langur (*Presbytis entellus*), tiger (*Panthera tigris tigris*), leopard (*Panthera pardus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), rusty spotted cat (*Felis rubiginosa*), jungle cat (*Felis chaus*), desert cat (*Felis libyca*), small Indian civet (*Viverricula indica*), toddy cat (*Paradoxurus hermaphroditus*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), ruddy mongoose (*Herpestes smithi smithi*), small India moongoose (*Herpestes auropunctatus*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), wolf (*Canis lupus pallipes*), jackal (*Canis aureus*), India wild dog (*Cuon alpinus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), ratel (*Mellivora capensis*), Indian tree shrew (*Anathana ellioti*), grey musk shrew (*Suncus murinus*), flying fox (*Pteropus*

giganteus), fulvous fruit bat (*Rousettus leschenaulti*), bearded sheath – tailed bat (*Taphozous melanopogon*), India pipistrelle (*Pipistrellus coromandra*), common giant flying squirrel (*Petaurista petaurista*), three striped palm squireel (*Funambulus palmarum*), Indian gerbilles (*Tatera indica*), metad (*Millardia meltada*), Indian field mice (*Mus booduga*), common house rat (*Rattus rattus*), bandicoot rat (*Bandicota indica*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), rufostailed hare (*Lepus nigricollis (ruficaudatus)*), gaur (*Bos gaurus*), fourhorned antelope (*Tetracerus quadricornis*), blue bull/nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), sambar (*Cervus unicolor*), spotted deer (*Axis axis*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), Indian wild boar (*Sus scrofa*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), etc;

AND WHEAREAS, the important species of Rare, Endangered, Threatened (RET) and endemic species of animals available in the Tiger Reserve are tiger (*Panthera tigris tigris*), leopard (*Panthera pardus fusca*), Indian bison (*Bos gaurus*), four horned antelope (*Tetracerus qudricornis*), common Indian monitor (*Varanus bengalensis*), Indian chameleon (*Chamales zeylanicus*), star tortoise (*Geochelone elegans*), peninsular or deccan soff shalled turtle (*Trionyx leithi*), square spotted gecho (*Hemida ctylus gracilis*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), leopard cat (*Prionailurus bengalensis bengalensis*), marsh crocodile (*Crocodylus palustris*), python (*Python molurus*), magur (*Clarius batrachus*), cauvery white carp (*Cirrhinus cirrhosus*), wild dog (*Cuon alpinus*), tree shrew (*Anathana ellioti ellioti*), watwaghul (*Rhinolophus luctus*), watwaghul (*Rhinolophus r. rouxii*), watwaghul (*Hipposideros galeritus brachyotus*), kasav (*Lissemys punctata*), vala (*Ramphotyphlops braminus*), trinket (taskar) (*Elaphe helena*), common Indian krait (manyar) (*Bungarus caeruleus*), slender coral snake (*Callophis melanurus*), Indian cobra (nag) (*Naja naja naja*), Russell's viper (ghonas) (*Vipera russelli*), saw-scaled viper (phoorsa) (*Echis carinatus carinatus*), bamboo pit viper (hara ghonas) (*Trimeresurus gramineus*), kasav (*Aspderetes leithii*), square spotted gecko (pal) (*Hemidactylus gracilis*), pungas (*Pangasius pangasius*), goonch (*Bagarius bagarius*), chital (*Chitala chitala*), oriental white-black vulture (*Gyps bengalensis*), lesser adjutant (*Leptoptilos javanicus*), greater spotted eagle (*Aquila clanga*), sarus crane (*Grus antigone*), green munia (*Amandava formosa*), etc;

AND WHEAREAS, the extremely close vicinity of human habitation and ongoing development activities at the Tadoba-Andhari Tiger Reserve, necessitate the requirement of proper safeguard and control over activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the Tadoba-Andhari Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 3 kilometre to 16 kilometre around the boundary of Tadoba - Andhari Tiger Reserve, in Chandrapur district in the State of Maharashtra as the Tadoba-Andhari Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 3 kilometre to 16 kilometre around the boundary of Tadoba - Andhari Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 1346.61 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Tadoba - Andhari Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Tadoba - Andhari Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Tadoba - Andhari Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
 - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj; and
 - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional

Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued

by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-medical waste management shall be as under:-
 - (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
11.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
12.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
15.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
19.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
27.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Trekking and camping.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Protection of hill slopes and river	Regulated as per the applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	banks.	
30.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Community nature reserve	Regulated as per the applicable laws.
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Chandrapur	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member;
(iii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member;
(iv)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(v)	Expert Biodiversity	Member;
(vi)	Senior Town Planner of the area	Member;
(vii)	A representative of the Departments of Environment, Water Resources, Revenue, Police, Public Works Department (PWD), Industries/ Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), Urban Development of the Government of Maharashtra	Member;
(viii)	Representative of Field Director, Tadoba-Andhari Tiger Reserve	Member;
(ix)	Deputy Director (Buffer), Tadoba-Andhari Tiger Reserve	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.-The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.-The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/02/2014-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA-ANDHARI TIGER RESERVE IN THE STATE MAHARASHTRA

North - Northern boundary of Reserve Forest Compartment No. 41, 40, 39, 7, 8, 10, 12, 20 (Chandrapur - Nagpur Circle boundary)


South - South East boundary of Maroda, Katwan, South boundary of Reserve Forest Compartment No. 353, South East boundary of 352, 355, 356. South East boundary of village Nagala, Mararsawari, Sandra, South boundary of village Sandra. South boundary of Reserve Forest Compartment No. 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409.

East - Eastern boundary of Reserve Forest Compartment No. 20, 21, 380, 381, 26A, 372, 368, 37, 43, East boundary of village Talodhi Tukum, Masala, Satara, Kolara, Masal Bu. Tekadi Subhani, Madnapur, Vihirgaon Tukum, Palasgaon, Parna, Easter boundary of Reserve Forest Compartment No. 230, Easter boundary of village Shrikada, Shioni, Wasera, Jamsala, Mohadi, Kalamgaon Gaoganna, Bamni, Shivapur Tukum, Ratnapur, Bhadurna, Usrala, Maroda.

West - South East boundary of Maroda, Katwan, South baundy of Reserve Forest Compartment No. 353, South East boundary of 352, 355, 356. South East boundary of village Nagala, Mararsawari, Sandra, South boundary of village Sandra. South boundary of Reserve Forest Compartment No. 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409.


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOD) TOPOSHEET




ANNEXURE-IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE

Point No.	Latitude	Longitude
A.	20° 26' 05.642" N	79° 16' 21.846" E
B.	20° 25' 36.381" N	79° 19' 18.425" E
C.	20° 24' 24.541" N	79° 21' 31.130" E
D.	20° 22' 29.638" N	79° 23' 15.223" E
E.	20° 21' 08.333" N	79° 23' 19.536" E
F.	20° 17' 37.449" N	79° 22' 52.950" E
G.	20° 16' 17.437" N	79° 26' 53.201" E
H.	20° 16' 09.425" N	79° 33' 20.299" E
I.	20° 06' 44.547" N	79° 33' 13.981" E
J.	20° 04' 54.547" N	79° 27' 47.877" E
K.	20° 07' 49.555" N	79° 22' 21.514" E
L.	20° 17' 49.765" N	79° 18' 51.049" E
M.	20° 18' 57.114" N	79° 14' 47.329" E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Latitude	Longitude
1.	20° 35' 19.456" N	79°16' 06.721" E
2.	20° 30' 07.431" N	79°20' 20.673" E
3.	20°24' 32.984" N	79°24' 53.843" E
4.	20°20' 51.058" N	79°30' 22.952" E
5.	20°11' 35.495" N	79°40' 19.671" E
6.	20°03' 05.625" N	79°37' 57.773" E
7.	19°59' 10.395" N	79°33' 53.630" E
8.	19°57' 55.322" N	79°27' 20.581" E
9.	19°57' 33.293" N	79°20' 46.585" E
10.	20°00' 27.980" N	79°21' 17.543" E
11.	20°04' 09.631" N	79°17' 53.560" E
12.	20°16' 23.423" N	79°14' 19.513" E
13.	20°26' 00.765" N	79°12' 37.764" E

ANNEXURE-IV

A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sr. No.	Village Name	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Palasgaon Singru	20:16:39.673	79:21:28.819
2	Kolsa	20:10:03.787	79:30:09.557
3	Rantalodhi	20:13:51.698	79:26:59.830
4	Ramdegi	20:24:37.562	79:16:36.273
5	Jamni	20:20:08.533	79:20:20.846
6	Katezari	20:18:25.109	79:17:18.230
7	Botezari	20:11:18.178	79:26:38.733

B. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sr. No.	Name of Village	Area in Ha.	Longitude (E)	Latitude (N)
1	Dewada	712.98	79:22:19.503	20:08:05.870
2	Khandala Rith	32.32	79:23:50.526	20:05:46.042
3	Chorgaon	526.00	79:22:44.797	20:04:09.790
4	Warwat	384.58	79:20:35.958	20:02:41.750
5	Mamla	181.81	79:23:11.000	20:02:21.526
6	Nimbala	308.58	79:26:41.959	20:03:32.831
7	Chak Nimbala	651.30	79:27:35.698	20:02:44.831
8	Waigaon - 1	143.59	79:25:22.480	20:01:36.308
9	Waigaon - 2	107.28	79:25:56.567	20:02:04.135
10	Borda	143.97	79:26:39.698	20:01:39.091
11	Haldi	291.24	79:29:09.918	20:03:05.923
12	Zari	29.72	79:30:48.404	20:05:58.270
13	Adegaon	465.00	79:21:08.140	20:06:40.499
14	Agarzari	120.08	79:19:48.836	20:06:24.903
15	Chak Borda	799.96	79:26:21.082	20:01:00.109
16	Pahami	30.58	79:27:50.927	20:05:30.503
17	Peth	11.59	79:30:23.039	20:04:53.288
18	Doni	79.04	79:32:34.291	20:06:35.005
19	Fulzari	15.44	79:33:57.346	20:03:55.542
20	Moharli	373.00	79:20:17.921	20:10:40.032
21	Pimpalkhut	24.60	79:29:55.130	20:02:32.956

22	Chak Pimpalkhut	154.76	79:30:07.533	20:01:52.311
23	Nandgur	302.01	79:30:38.864	20:01:22.026
24	Mahadwadi	127.78	79:32:23.516	20:01:03.397
25	Gondsawari	421.71	79:31:40.058	20:00:53.697
26	Mararsawari	46.47	79:33:16.841	19:59:41.296
27	Chak Mararsawari	85.23	79:32:33.216	19:59:42.292
28	Nagala	204.75	79:33:08.673	20:00:28.506
29	Sandala Rith	159.42	79:33:38.061	19:59:12.752
30	Chichpalli	673.02	79:29:10.774	19:59:47.194
31	Ajaypur	860.13	79:30:37.358	20:00:25.639
32	Temta	32.76	79:30:50.255	19:59:37.118
33	Jambharla	55.61	79:29:37.100	19:59:03.338
34	Walni	130.50	79:27:06.081	20:00:19.476
35	Chak Walni	34.48	79:26:09.809	19:59:59.868
36	Ghantachouki	29.93	79:24:59.986	19:59:50.362
37	Lohara	151.61	79:21:47.465	19:59:03.808
38	Sonegaon	245.28	79:14:31.612	20:20:22.841
39	Belgaon	480.00	79:13:16.306	20:19:59.176
40	Ashta	765.00	79:13:51.236	20:18:38.087
41	Wadala Tu.	374.71	79:15:18.919	20:18:07.434
42	Wiloda	607.00	79:14:56.463	20:13:21.039
43	Katwal Tu.	8030.95	79:16:10.941	20:15:45.322
44	Nagpur Rith	122.83	79:16:32.446	20:14:58.609
45	Ghosari	224.74	79:17:04.704	20:16:49.837
46	Khutwanda Di.	114.91	79:18:28.610	20:16:22.339
47	Khutwanda Tu.	133.21	79:18:07.281	20:16:45.607
48	Khutwanda Mr.	72.21	79:18:39.363	20:16:00.481
49	Khutwanda Ry.	11.31	79:18:18.562	20:15:45.674
50	Chichghat Rith	90.79	79:19:18.576	20:17:03.215
51	Tekadi	289.86	79:17:09.956	20:14:20.079
52	Kondegaon Tu.	145.45	79:18:35.660	20:13:31.322
53	Bhamdeli Ry.	289.00	79:19:23.660	20:11:48.054
54	Bhamdeli	225.00	79:18:57.918	20:11:03.233
55	Junona	39.07	79:21:21.740	20:10:40.601
56	Pardi Rith	350.00	79:19:06.007	20:09:54.656
57	Tamsi Rith	308.00	79:15:58.162	20:16:41.072
58	Kondegaon	150.00	79:18:28.953	20:14:17.276

59	Sitarampeth	559.00	79:19:11.685	20:12:36.479
60	Thanegaon Rith	62.00	79:20:05.282	20:11:33.318
61	Ambezari Rith	100.00	79:20:31.871	20:09:28.232
62	Mudholi	437.00	79:17:42.998	20:15:26.919
63	Shioni	852.83	79:13:41.367	20:22:19.917
64	Arjuni Tukum	70.75	79:13:44.348	20:22:00.957
65	Arjuni	381.18	79:13:02.969	20:21:34.126
66	Kokewada	376.00	79:13:12.151	20:20:38.556
67	Bhanuskhindi Rith	19.25	79:14:27.516	20:21:34.364
68	Waigaon Mokasa	102.65	79:12:45.071	20:22:52.857
69	Waigaon Khurd	392.00	79:11:57.438	20:22:42.247
70	Belgaon Bhojar Rith	298.64	79:13:18.934	20:23:23.559
71	Belgaon Chak Rith	61.51	79:13:16.677	20:23:57.648
72	Bembal	110.00	79:12:43.943	20:24:39.412
73	Bembal Chak	260.62	79:13:21.869	20:24:34.219
74	Nimdheka	146.00	79:12:59.068	20:25:26.593
75	Madanapur Tukum	168.00	79:24:19.353	20:23:14.041
76	Madanapur	550.00	79:24:49.802	20:23:49.505
77	Chaity (Deori)	233.20	79:22:28.308	20:22:24.607
78	Chaity Tukum Rith	253.00	79:23:05.917	20:23:00.071
79	Tekadi Mandavzari	168.66	79:21:48.900	20:23:39.117
80	Chak Tekadi Rith	212.00	79:22:17.539	20:23:11.943
81	Tekadi Subhani Rith	475.19	79:24:21.108	20:24:22.962
82	Karbada	360.00	79:23:12.860	20:23:44.095
83	Kolara	251.00	79:22:24.810	20:25:18.357
84	Palasgaon (Piparda)	754.75	79:27:36.976	20:21:11.990
85	Gondmohali	521.24	79:26:58.109	20:21:38.616
86	Vihirgaon Tukum	219.00	79:26:08.529	20:22:31.562
87	Vihirgaon	444.00	79:25:51.697	20:21:05.563
88	Talodhi	156.01	79:21:13.903	20:26:42.119
89	Alianza	Part of Kitadi	79:20:37.366	20:26:34.541
90	Tekepar	399.00	79:22:06.001	20:26:54.342
91	Pendhari Rith	126.00	79:19:56.141	20:27:18.788
92	Pendhari Tu. Rith	168.00	79:19:30.065	20:27:05.750
93	Talodhi Gaoganna	329.00	79:20:47.361	20:27:20.185
94	Kitali	298.00	79:19:53.108	20:26:23.881
95	Khapari	457.00	79:20:32.950	20:25:55.073

96	Bamangaon	473.00	79:20:22.536	20:24:58.374
97	Satara	471.00	79:21:27.503	20:24:59.907
98	Khadsangi	262.22	79:16:00.186	20:29:58.415
99	Pandharpavani	93.82	79:16:18.575	20:29:21.638
100	Baradghat	164.61	79:15:40.183	20:29:31.220
101	Khandala	55.72	79:14:08.573	20:32:22.236
102	Mangrul	68.53	79:17:57.873	20:28:59.571
103	Zari	78.37	79:17:14.966	20:29:13.669
104	Bandar	132.45	79:17:43.775	20:29:53.511
105	Shiwapur	55.84	79:17:37.033	20:30:36.418
106	Shedegaon	619.38	79:19:20.622	20:30:03.319
107	Pitichua	352.00	79:19:45.140	20:31:54.876
108	Majra Begade	206.05	79:16:12.445	20:31:13.195
109	Amarpuri	240.14	79:16:33.899	20:31:59.780
110	Salori Rith	84.54	79:16:11.832	20:32:56.171
111	Pethbhansuli	189.02	79:15:24.635	20:32:10.813
112	Jambhulbodi	77.69	79:14:07.574	20:31:58.689
113	Aajgaon	144.86	79:17:09.303	20:33:50.568
114	Murpar Rith	156.50	79:17:53.034	20:34:06.603
115	Murpar Tukum	161.77	79:17:56.435	20:32:36.225
116	Katebothali	49.32	79:16:47.058	20:33:20.024
117	Minzari	123.20	79:17:55.376	20:34:07.662
118	Chak Kukadheti	22.00	79:37:44.726	20:12:57.288
119	Kukadheti	760.59	79:36:12.062	20:13:58.906
120	Mohadi	272.00	79:36:56.520	20:15:02.197
121	Ratnapur	111.07	79:33:47.327	20:20:35.299
122	Khatera	96.00	79:37:17.166	20:11:26.350
123	Khatera Chak	118.00	79:37:31.376	20:11:04.544
124	Naleshwar	413.50	79:35:41.858	20:14:13.200
125	Jamsala	446.00	79:35:48.228	20:15:46.793
126	Masmohan	134.00	79:33:54.054	20:15:56.596
127	Singadzari	104.04	79:33:52.094	20:16:26.484
128	Wasera	667.75	79:34:48.936	20:16:51.475
129	Pandharwani	55.11	79:31:45.186	20:16:11.294
130	Shioni	638.01	79:33:23.673	20:18:13.308
131	Sirkada	380.71	79:31:21.169	20:18:48.589
132	Parna	121.62	79:29:29.936	20:20:41.292

133	Piparda	423.43	79:28:21.510	20:20:09.557
134	Piparheti	27.40	79:32:27.094	20:15:37.951
135	Maroda	1995.04	79:38:15.353	20:06:11.147
136	Usrala	755.98	79:39:50.068	20:08:05.213
137	Padzari	26.42	79:37:32.181	20:08:34.857
138	Padzari Ry.	696.23	79:38:14.311	20:08:48.189
139	Shiwapur	78.00	79:38:10.844	20:10:49.780
140	Bhadurna	5.57	79:40:01.680	20:09:05.240
141	Katwan	133.85	79:37:58.377	20:04:03.544
142	Chak Katwan	99.24	79:38:24.103	20:04:36.806
143	Karwan	757.48	79:37:54.219	20:05:14.745

ANNEXURE -V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.